

भू- ससांधन विभाग

परिव्ययों तथा परिणामों/लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण: वार्षिक योजना 2005-06

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2005-06	परिमाणनीय निष्पादन				प्रक्रियाएं/समय सीमा	टिप्पणियाँ/ जोखिम/कारक
				परियोजनाओं की सं.	साधित किया जाने वाला क्षेत्र (लाख है०)	एस.एच. जीएस सं.	यू.जीएस सं.		
1.	एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम	जल संचय, जल संचय में वृद्धि पेयजल सुरक्षा बायोमास के उत्पादन में वृद्धि, भूमि के कटाव में कमी आदि	366.00- गैर पूर्वोत्तर राज्य	249	11.89	1245	1245	न्यूनतम एक वर्ष	(i)स्थानीय दक्षता की कमी से निर्धारित अवधि में परियोजना के पूरा होने में विलम्ब हो रहा है और फलस्वरुप आउट कम इन्डीकेटर की आउटपुट में विलम्ब हो रहा है । (ii) राज्य के हिस्से में विलम्ब हो सकता है । (iii) इस स्कीम के मांग आधारित होने से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो सकते हैं ।
			119.00- पूर्वोत्तर राज्य	91	4.42	455	455		

**भू- ससांधन विभाग**

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2005-06	परिमाणनीय निष्पादन				प्रक्रियाएं/ समय सीमा	टिप्पणियाँ/ जोखिम/कारक
				परियोजनाओं की सं.	साधित किया जाने वाला क्षेत्र (लाख है०)	एस एच जी एस सं.	यू जी एस सं.		
2.	सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम	वही	353.00	3000	15.00	3000	3000	वही	वही
3.	रेगिस्तान विकास कार्यक्रम	वही	268.00	2000	10.00	2000	2000	वही	वही
4.	वाहन सहायता प्राप्त परियोजनाएं (i) आन्ध्र प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना	वही	60.00	500 (चालू)	2.50	500	500	-	-
	(ii) पश्चिमी उड़ीसा ग्रामीण आजीविका परियोजना	वही	20.00	76	0.38	76	76	न्यूनतम एक वर्ष	-
5.	भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (सी एल आर)	भू-स्वामियों को अधिकारों के अभिलेख की प्रति समय पर और सही रूप में जारी करने के लिए स्वामित्व का तथा प्लाटवार विवरणों का कम्प्यूटरीकरण	100.00	(i) स्कीम को 150 और तहसीलों में कार्यान्वित करना । (ii) 200 उप संभागों में हार्डवेयर/साफ्टवेयर की स्थापना । (iii) 10 राज्यों में राज्य स्तरीय निगरानी सेल				-	राज्यों द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियां जारी करना ।

**भू- ससांधन विभाग**

				(iv) 100 जिलों के लिए जिला स्तर के आंकड़ा केन्द्र		(ii) कुछ राज्यों में डाटा प्रविष्टि एजेंसियों की अनुपलब्धता (iii) कम्प्यूटर केन्द्रों की व्यवस्था के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की कमी
6.	राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण तथा भू-अभिलेखों का अद्यतीकरण (एस आर ए एवं यू एल आर)	नई तकनीकी अपनाकर सर्वे तथा बन्दोबस्त करके भू-अभिलेखों को अद्यतन करना, प्रशिक्षण अवस्थापना का सुदृढीकरण, भू-रिकार्डों के भण्डारण तथा अनुरक्षण के लिए सुविधाओं की अवस्थापना सृजन आदि	40.00	(i) प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना - 2 (ii) अभिलेख कक्षाओं की स्थापना - 50 (iii) पटवारघरों की स्थापना - 50		राज्य सरकारों द्वारा समान भाग देने में विलम्ब तथा सर्वे बन्दोवस्त प्रचालन समय साध्य प्रक्रियाएं हैं ।
7.	तकनीकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण (टी डी ई टी)	बंजर भूमि विकास के लिए प्राद्योगिकियों का मानकीकरण तथा वैधीकरण तथा व्यापक वितरण के लिए विकसित प्राद्योगिकी	17.00	टी डी ई टी के अर्न्तगत डेलीवरेबल्स का मात्राकरण सम्भव नहीं है क्योंकि इस स्कीम के अर्न्तगत पायलट परियोजनाएं अनुसंधान संगठनों से समय-समय पर प्राप्त प्रात्र स्कीमों के आधार पर मंजूरी दी जाती है ।		

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2005-06	क्वांटीफियबल डिलीवरेबल्स	प्रक्रियाएं/समय सीमा	टिप्पणियाँ/जोखिमकारक
8.	बायो इंधन		50.00	डी पी आर योजना आयोग के पास विचारधीन है		
9.	अन्य	प्रचार, मानीटीरिंग और मूल्यांकन, प्रशिक्षण, कार्यशाला आदि के लिए विविध प्रावधान	3.00	-	-	-
	<b>कुल</b>		<b>1396.00</b>			